अनिवार्य संलग्न 1:6
78

प्रारुप–30.2

Name of the project –:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अ लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कन्डीसौड।

पत्रांक– दिनाक–

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थौलधार।

उपखण्ड **कण्डीसौड परिक्षेत्र के अन्तगर्त लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक** मोटर मार्ग का नव निर्माण |(**3.175**हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.330** हे0 नाप भूमि, अर्थात कुल **3.175** हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कण्डीसौड**) की दिनांक 22.06.20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ,उपजिलाधिकारी **टिहरी** –अध्यक्ष
2– श्री रमेश चन्द्र रतूड़ी उप प्रभागीय वनाधिकारी **टिहरी** –सदस्य
3– श्री मनोज कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी**थौलधार** –सदस्य/सचिव
4– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र **मंजखेत** –सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी उप वन प्रभाग
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड थौलधार
जिला – टिहरी गढ़वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड–3 क्यारी गाड़
थौलधार टि0ग0

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक मोटर मार्ग वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **टिहरी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है.बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कण्डीसौड** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत **लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **3.175** हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग चम्बा**.(प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
टिहरी
टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **टिहरी गढ़वाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी
टिहरी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप 42.1

अनिवार्य सलंग्न 1.6

(72)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा/कण्डीसौड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

आज दिनांक 22.06.2020 को विकासखण्ड थौलधार के अर्न्तगत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अर्न्तगत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु **3.175 हे0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री फिचाएम चौहान	उप जिलाधिकारी, **कण्डीसौड** टिहरी	[signature] उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।
2	श्री रमेश–चन्द्र रवडूड़ी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3	श्री ओमप्रकाश कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, **थौलधार।**	[signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थौलधार जिला–टिहरी गढ़वाल
4	श्री गोपाल चमोली	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य	[signature] सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड–3 कमरी नगुण थौलधार टि0ग0
5	श्री ~~जयवीर रावत~~ जयबीर सिंह रावत	सदस्य जिला पचायत बन्स्यूल थौलधार टिहरी गढ़वाल।	[signature] जयबीर सिंह रावत एडवोकेट सदस्य, जिला पंचायत बन्स्यूल थौलधार, (टिहरी गढ़वाल)

प्रारुप 42.1

अतिरिक्त सलंग्न 2.3

प्रारुप–30.3

अनिवार्य सलंग्न 1.6

(74)

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **मंजखेत**

तहसील **कन्डीसौड**, जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 3.175 आरक्षित वन भूमि एंव राजस्व भूमि .... अर्थात कुल 3.175 है० वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मंजखेत** द्वारा दिनांक..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम पंचायत मंजखेत** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत मंजखेत

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पचायत मजखेत
वि0ख0–थौलधार (टि0ग0)